28.6.18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गुढ़ागौड़जी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 2 का नाम विनोद कुमार के बजाय विनोद कुमार गुप्ता करवाना चाहता है लेकिन पत्रावली में उक्त नाम की पुष्टि बाबत कोई रिकार्ड्स दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण नाम दुरुस्त भी नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद पत्र के जरिये बंटवारा का अनुतोष भी चाहा गया है लेकिन जिस भूमि का बंटवारा चाहते हैं वह प्लाट (आबादी) है तथा कृषि भूमि नहीं है धारा 53 के प्रावधान अनुसार कृषि भूमि का ही विभाजन किया जा सकता है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** वाद पत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कौशल कुमार तोमर रीडर के नाम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.6.18 को कैम्प कोर्ट गुढ़ागौड़जी में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner